International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 12 Issue 3, May.-June, 2024, Impact Factor: 8.376

बाल अधिकारों के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन

डॉ. सुरंजन कुमार[1], विजय कुमार साहू[2]

[1]सहायक प्राध्यापक श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर (छ0ग0)
[2]शोधार्थी श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर (छ0ग0)

सारांश

बच्चों को भगवान का सबसे कीमती उपहार माना जाता है। वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं परंतु यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि यही बच्चे दुर्व्यवहार और उपेक्षा के शिकार होते हैं। सार्वभौमिक रूप से बचपन को संवेदनशीलता की अवधि के रूप में पहचाना जाता है। जिसे विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस हेतु बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिये साथ ही उनके माता पिता एवं शिक्षकों को भी बाल अधिकारों का पता होना चाहिये, जो उनके निकट होते है। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी बड़ों पर है। प्रस्तुत अध्ययन में बाल अधिकारों के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन किया गया है। इस हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया गया एवं यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शिक्षकों की जागरूकता अभिभावकों से ज्यादा है। शिक्षकों में जागरूकता में अधिकता का कारण बाल अधिकार सम्बन्धी अध्ययन सामग्री एवं प्रचार साधनों का अधिक होना है। ग्रामीण अभिभावकों की तुलना में शहरी अभिभावकों की जागरूकता का स्तर अधिक है। उसी प्रकार शहरी शिक्षकों की जागरूकता, ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में अधिक है। वर्तमान स्थिति में शिक्षकों एवं अभिभावकों में भी जागरूकता के स्तर में वृद्धि करना आवश्यक है।

प्रस्तावना–

बच्चों को भगवान का सबसे कीमती उपहार माना जाता है वे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं परंतु यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि यही बच्चे दुर्व्यवहार और उपेक्षा के शिकार होते हैं। सार्वभौमिक रूप से बचपन को संवेदनशीलता की अवधि के रूप में पहचाना जाता है। जिसे विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिये साथ ही उनके माता पिता एवं शिक्षकों को भी बाल अधिकारों का पता होना चाहिये जो उनके निकट होते है। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी बड़ों पर है।हमारे देश के संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में भी बचपन को कुंठाओं और उत्पीड़न से बचाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देशप्रदान किये गये हैं। भारतीय संविधान की धारा 39 (च) में स्पष्ट उल्लेख है कि शैशव

और किशोरावस्था का संरक्षण हो।यह बच्चों का अधिकार है कि राष्ट्र उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। हमें यह भी समझना होगा कि बच्चे वयस्कों का विकसित संस्करण नहीं हैं वे ''विशेष'' व्यक्ति हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता है, अपनी आवश्यकताएं हैं। यह दूसरी बात है कि वे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पूरी तरह और किशोरावस्था में बहुत हद तक वयस्कों पर निर्भर हैं और अपना पक्ष और अपनी माँगें सबके सामने रखने तथा अपने अधिकारों पर स्वयं न्यायालयों और अभिकरणों अथवा किसी अन्य उपयुक्त मंच के माध्यम से प्राप्त कर सकने में असमर्थ हैं। इसलिए जब हम बच्चों के अधिकारों की बात सोचते हैं तो इसका अर्थ माता पिता, अध्यापक, समाज और सरकार के दायित्वों से होता है। अतः आवश्यक है कि बाल अधिकारों के प्राप्ति के लिए यह जाना जाए कि जिनके कंधों पर बाल अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दायित्व है, वे बाल अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं?

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व–

बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसके माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षक उनके अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं क्योंकि बच्चे निरीह होते हैं और उनकी इसी निरीहता के कारण अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जो अपने आस पास के बड़ों के द्वारा दिया जाता है। बच्चे हर पल शोषण का शिकार होते हैं लेकिन बच्चों को जो अधिकार संविधान के द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989 के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं क्या वे सभी अधिकार बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं, उन अधिकारों को प्रदान करने में शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहभागिता कितनी है? यदि नहीं तो सम्स्याएं कहां पर आ रही हैं और इन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है जिससे बच्चों का समग्र विकास किया जा सके। अतः बालकों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बाल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें लागू करने वालों (शिक्षकों एवं अभिभावकों) की जागरूकता जानना ही शोधकर्ता का उद्देश्य है जिससे कि बाल अधिकारों की सम्यक प्राप्ति के सन्दर्भ में दिशा बोध प्राप्त कर कार्य योजना में सुधार किया जा सके।

समस्या कथन

''बाल अधिकारों के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्यः–

- बाल अधिकारों के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
- बाल अधिकारों के प्रति अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
- बाल अधिकारों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
- बाल अधिकारों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।
- बाल अधिकारों के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रश्नः–

1. बाल अधिकारों के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में जागरूकता का स्तर क्या है?
2. बाल अधिकारों के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का स्तर कितना है?
3. शहरी अभिभावकों एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता स्तर में क्या अंतर है?
4. शहरी शिक्षकों एवं ग्रामीण शिक्षकों की जागरूकता स्तर में क्या अंतर है?
5. बाल अधिकारों के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों के जागरूकता में कितना अंतर है?

अध्ययन का परिसीमन

अध्ययन क्षेत्रः

अध्ययन केवल जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखण्ड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक (पं)/सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों तक सीमित है।

पूर्व में किये गये शोध एवं निष्कर्ष–

बाल अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका बच्चों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। संविधान में बालकों के हित के लिये कई कानून बनाए गए हैं पर उनके प्रति लोगों की जागरूकता कितनी है यह एक ज्वलंत प्रश्न है। इस विषय पर अनेक शोध किये गये हैं लेकिन जागरूकता पर चर्चा नहीं हुई है। चूँकि इसका दायरा बहुत व्यापक है अतः इस पर शोध कार्य होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किये गये शोध एवं निष्कर्ष यहां प्रस्तुत हैं–

Sathiyaraj , A., & Jayaraman, D. (2013). A Study on Child Rights Awareness among the Primary School Teachers in Tiruchirappalli District of Tamilnadu.

निष्कर्षः–

1. यद्यपि बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता और ज्ञान दुनिया भर में बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी नाइजीरिया और भारत जैसे विकासशील देशों में बाल अधिकारों के वास्तविक क्रियान्वयन करने के बजाय राजनीतिकरण किया गया है।
2. उपर्युक्त अध्ययन यह सपष्ट करता है कि शिक्षकों के बाल अधिकार के प्रति जागरूकता पर लिंग और क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षकों का बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर औसत से थोड़ा ऊपर

है। उन्हें बाल अधिकार के प्रति जागरूक होने, अभिरूचि विकसित करने की और पालन करने की आवश्यकता है।

Singh, B., & Verma, D. (2013). A study to Compare the Child Rights Awareness of Primary Teachers teaching in ICSE Board and CBSE Board Schools.

निष्कर्षः—

आई सी एस ई बोर्ड स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक सी बी एस ई बोर्ड स्कूलों में पढ़ाई करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की तुलना में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक रखते हैं।

आदित्य,मदन लाल (2014) ने शिक्षा के मौलिक अधिकार के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन किया।

निष्कर्षः—

1. शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का शिक्षा के मौलिक अधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
2. अशासकीय विद्यालयों के शिक्षिकाओं की अपेक्षा शिक्षक ज्यादा जागरूक हैं।

शोध विधि

प्रस्तुत लघु शोध में ′′ सर्वेक्षण विधि′′ का प्रयोग किया गया है। यह अप्रयोगात्मक प्रकृति का शोध है। यह घटनोत्तर प्रकृति का अनुसंधान है।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत लघुशोध अध्ययन 2×2 शोध अभिकल्प पर आधारित है।

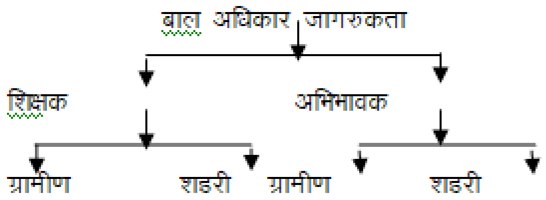

जनसंख्या

वह समस्त समूह जिनमें से न्यादर्श का चयन किया जाता है जनसंख्या कहा जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या का अभिप्राय जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखण्ड के समस्त ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापनरत 200 शिक्षक शिक्षिकाओं एवं उन विद्यार्थियों के 200 अभिभावको का चयन यादृच्छिक रूप से न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

ग्रामीण एवं शहरी कुल 200 शिक्षक एवं 200 अभिभावकों को यादृच्छिक रूप से चयन किया गया है ।

सारणी क्रमांक 3.1

क्रमांक	शाला का प्रकार	शिक्षक	अभिभावक	योग
1	ग्रामीण	100	100	**200**
2	शहरी	100	100	**200**
योग		**200**	**200**	**400**

शोध चरों का विवरण
स्वतंत्र चर– बाल अधिकार के प्रति जागरूकता
आश्रित चर– शिक्षक एवं अभिभावक

शोध उपकरण
बाल अधिकार जागरूकता सम्बन्धी स्वनिर्मित प्रश्नावली

प्रयुक्त सांख्यिकी
प्रदत्तों का संकलन करने के पश्चात् सारणीयन एवं अंतर ज्ञात करने के लिये सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गयाः–

1. **मध्यमान**
2. **प्रतिशत**

शोध निष्कर्ष एवं विवेचना
शोध प्रश्न क्रमांक 01

बाल अधिकारों के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में जागरूकता का स्तर क्या है?

सांख्यिकीय विश्लेषण

Rural Teachers	58.2
Urban Teachers	60.92
Average	59.56

Teacher				
S. N.	**Level**	**Range %**	**Total Question**	**Question No**
1	**Superior**	**98-100**	**0**	**0**
2	**Very High**	**85-98**	**3**	**16,18,20**
3	**High**	**51-85**	**12**	**3,5,6,7,8,9,11,15, 19,22,23,25**
4	**Average**	**16-51**	**9**	**1,4,10,12,13,14,17,21,24**
5	**Low**	**3-16**	**1**	**2**
6	**Very Low**	**0-3**	**0**	**0**

निष्कर्ष–
सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में जागरूकता का प्रतिशत 59.56 है। कथनों के आधार पर कुल 12 कथनों में जागरूकता का स्तर उच्च है एवं 9 कथनों में जागरूकता का स्तर औसत है। 1 कथन में जागरूकता का स्तर निम्न है।

विवेचना
प्रस्तुत लघुशोध के निष्कर्ष में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया वह निम्नानुसार है:–

- प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में जागरूकता का प्रतिशत 59.56 है।
- आयामों के आधार पर सुरक्षा का अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता का स्तर अत्यधिक उच्च है।
- जीने का अधिकार, विकास एवं सहभागिता का अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता का स्तर औसत से अधिक है।
- शिक्षा का अधिकार एवं देखभाल एवं संरक्षण के अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता का स्तर औसत है।
- प्रतिष्ठा एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता का स्तर निम्न है।

शिक्षकों में प्रतिष्ठा एवं अभिव्यक्ति के अधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर निम्न है एवं इस क्षेत्र में अभी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जागरूकता की कमी का कारण क्षेत्र का पिछड़ा पन, संसाधनों का अभाव या रूचि का अभाव भी हो सकता है।

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि बाल अधिकार के क्षेत्र में शिक्षकों की जागरूकता का स्तर औसत से थोड़ा ऊपर है इस बात की पुष्टि उक्त परिणाम के पूर्व में किये गये शोध कार्य **Sathiyaraj , A., & Jayaraman, D. (2013).** के परिणामों से होती है।

शोध प्रश्न क्रमांक 02
बाल अधिकारों के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का स्तर कितना है?

Rural parents	48.88
Urban parents	58.8
Average	53.84

Parents				
S.N.	**Level**	**Range %**	**Total Question**	**No Of Question**
1	**Superior**	**98-100**	**0**	**0**
2	**Very High**	**85-98**	**0**	**0**
3	**High**	**51-85**	**14**	**1,5,6,7,8,9,11, 12,15,16,18,19,20,22**
4	**Average**	**16-51**	**11**	**2,3,4,10,13,14,17,21,23,24,25**
5	**Low**	**3-16**	**0**	**0**
6	**Very Low**	**0-3**	**0**	**0**

निष्कर्ष–
प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में जागरूकता का प्रतिशत53.84है। सारणी क्रमांक 4.6 में कथनों के आधार पर कुल 14 कथनों में जागरूकता का स्तर उच्च है एवं 11 कथनों में जागरूकता का स्तर औसत है।

विवेचना

प्रस्तुत लघुशोध के निष्कर्ष में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया वह निम्नानुसार हैः–

- प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में जागरूकता का प्रतिशत53.84है।
- आयामों के आधार पर सुरक्षा का अधिकार एवं देखभाल एवं संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता का स्तर उच्च है। इसका कारण हो सकता है कि अभिभावक अपने बच्चों से बहुत प्यार करते है। उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। वे बच्चों के हर छोटी बड़ी समस्याओं से अवगत होना चाहते हैं इसलिये इस क्षेत्र में जागरूकता का स्तर उच्च है। इस परिणाम की पुष्टि पूर्व में किये गये शोध **Bhargava, M., & Ahamad, T. (2015).**के अध्ययन के परिणामों से होती है।
- जीवन जीने, विकास, शिक्षा का अधिकार एवं सहभागिता के अधिकारों के क्षेत्र में जागरूकता का स्तर औसत है। इस क्षेत्र में अभिभावकों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। हो सकता है अभिभावकों के पास इस सम्बन्ध में जानकारी का अभाव हो, अभिभावक पढ़े लिखे न हों। ऐसे साधन उपलब्ध न हों जिनसे उन्हें इस सम्बन्ध में जनकारी मिल सके।

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिभावकों में भी समग्र बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर औसत से थोड़ा सा ऊपर है।

शोध प्रश्न क्रमांक 03

शहरी अभिभावकों एवं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता स्तर में क्या अंतर है?

Rural parents	48.88
Urban parents	58.8

Parents						
S.N.	Level	Range %	Total Question		Question Number	
			Rural	Urban	Rural	Urban
1	Superior	98-100	0	0	0	0
2	Very High	85-98	0	2	0	16,20
3	High	51-85	11	14	6,7,8,9,11, 14,15,16, 18,16,20,	1,5,6,7,8,9,11 ,12,13, 15,18,22,23, 25
4	Average	16-51	13	9	1,3,4,5,10, 12,13,17, 21,22,23,2 4, 25	2,3,4,10, 14,17,19,21, 24
5	Low	3-16	1	0	2	0
6	Very Low	0-3	0	0	0	0

निष्कर्ष–

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में जहां 2 कथनों में शहरी अभिभावकों की जागरूकता का स्तर अत्यधिक उच्च है वहीं ग्रामीण अभिभावकों में इस स्तर पर जागरूकता नहीं है। जहां कुल 14 कथनों में शहरी अभिभावकों की जागरूकता उच्च स्तर की है वहीं ग्रामीण अभिभावकों में यह 11 कथनों तक ही सीमित है। वहीं औसत स्तर की जागरूकता में शहरी अभिभावक कुल 9 कथनों पर औसत स्तर पर हैं वहीं ग्रामीण स्तर पर यह 11 कथन है।ग्रामीण अभिभावकों का स्तर 2 कथनों में निम्न है वहीं

शहरी में निम्न स्तर पर कोई नहीं हैं। अर्थात् शहरी अभिभावकों की जागरूकता जहां औसत से अत्यधिक उच्च स्तर तक है वहीं ग्रामीण स्तर पर निम्न से उच्च स्तर तक की जागरूकता है। सारणी क्रमांक 4.3 से स्पष्ट है कि शहरी अभिभावक ग्रामीण अभिभावकों से बाल अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता रखते है।

विवेचना

प्रस्तुत लघुशोध के निष्कर्ष में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया वह निम्नानुसार हैः–

- प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों में जहां शहरी क्षेत्र के अभिभावकों में सुरक्षा का अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता का स्तर अत्यधिक उच्च है वहीं ग्रामीण अभिभावकों में जागरूकता का स्तर औसत से ऊपर है। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को वे सारी सुविधाएं, जानकारियाँ हासिल नहीं हो पाती हैं जो एक शहरी क्षेत्र के अभिभावकों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
- इसके अतिरिक्त जहां शिक्षा का अधिकार के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में शहरी अभिभावकों की जागरूकता उच्च स्तर की है वहीं ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता का स्तर औसत है। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण अभिभावकों में रूचि की कमी, जागरूकता की कमी, प्रोत्साहन की कमी हो सकती है। आज इस क्षेत्र में जागरूकता एवं प्रसार की आवश्यकता हैं जिससे ग्रामीण अभिभावक भी इस क्षेत्र में जागरूक हो कर शासन द्वारा प्रदान किये गये लाभों को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा भी जीने ,विकास करने एव अभिव्यक्ति का अधिकार के क्षेत्र में भी शहरी अभिभावकों की जागरूकता ग्रामीण अभिभावकों से अधिक है। इस प्रकार ग्रामीण अभिभावकों में बाल अधिकार के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु संगोष्ठी, सेमीनार, शिक्षक पालक संघ बैठक, ग्राम पंचायत स्तर पर बाल अधिकार जागरूकता रैली आदि के माध्यम से प्रसार किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों में प्रतिष्ठा एवं अभिव्यक्ति का अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता न्यून है। इस क्षेत्र में काम किये जाने की आवश्यकता है।

शोध प्रश्न क्रमांक 04

शहरी शिक्षकों एवं ग्रामीण शिक्षकों की जागरूकता स्तर में क्या अंतर है?

Rural Teachers	58.2
Urban Teachers	60.92

Teacher						
S.N.	**Level**	**Range %**	**Total Question**		**Question number**	
			Rural	**Urban**	**Rural**	**Urban**
1	**Superior**	**98-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Very High**	**85-98**	**3**	**3**	**16,18,20**	**16,18,20**
3	**High**	**51-85**	**12**	**14**	**3,5,6,7,8,9, 11,15,19,2 2,23,25**	**1,3,5,6,7,8,9,1, 13,15,19, 22,23,25**
4	**Average**	**16-51**	**10**	**7**	**1,2,4,10, 12,13,14, 17,21,24**	**4,10,12,14, 17,21,24**
5	**Low**	**3-16**	**0**	**1**	**0**	**2**
6	**Very Low**	**0-3**	**0**	**0**	**0**	**0**

निष्कर्ष–

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शिक्षकों में 3 कथनों में शहरी शिक्षकों एवं ग्रामीण शिक्षकों की जागरूकता का स्तर अत्यधिक उच्च है जहां कुल 14 कथनों में शहरी शिक्षकों की जागरूकता उच्च स्तर की है वहीं ग्रामीण शिक्षकों में यह 12 कथनों तक ही सीमित है। वहीं औसत स्तर की जागरूकता में शहरी शिक्षक कुल 7 कथनों पर औसत स्तर पर हैं वहीं ग्रामीण स्तर पर यह 10 कथन है। शहरी शिक्षकों का स्तर 1 कथनों में निम्न है वहीं ग्रामीण में निम्न स्तर पर कोई नहीं हैं। अर्थात् ग्रामीण शिक्षकों की जागरूकता जहां औसत से अत्यधिक उच्च स्तर तक है वहीं शहरी स्तर पर निम्न से अत्यधिक उच्च स्तर तक की जागरूकता है। सारणी क्रमांक 4.4 से स्पष्ट है कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो शहरी शिक्षक ग्रामीण शिक्षकों से बाल अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता रखते है।

विवेचना

प्रस्तुत लघुशोध के निष्कर्ष में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया वह निम्नानुसार हैः–

- प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों में सुरक्षा के अधिकार के प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों में जागरूकता का स्तर अत्यधिक उच्च है।
- जीने का अधिकार, विकास एवं सहभागिता और शिक्षा का अधिकार के क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की जागरूकता का स्तर औसत से अधिक है।
- देखभाल एवं संरक्षण का अधिकार के क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों में जागरूकता का स्तर औसत है।
- प्रतिष्ठा एवं अभिव्यक्ति का अधिकार के क्षेत्र में शहरी शिक्षकों का जागरूकता स्तर निम्न है। इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण शिक्षकों की जागरूकता जहां औसत से अत्यधिक उच्च स्तर तक है वहीं शहरी स्तर पर निम्न से अत्यधिक उच्च स्तर तक की जागरूकता है। औसत दृष्टि से तुलना किया जाय तो शहरी शिक्षक ग्रामीण शिक्षकों से बाल अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता रखते है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता हेतु संसाधनों एवं जागरूक करने के लिये मीडिया एवं अन्य साधनों का अभाव रहता है। लोग इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते है। इसलिये शायद उनमें जागरूकता का स्तर थोड़ा कम है।

शोध प्रश्न क्रमांक 5

बाल अधिकारों के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों के जागरूकता में कितना अंतर है?

Parents	53.84
Teachers	59.56

निष्कर्ष–

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शिक्षकों एवं अभिभावकों में 3 कथनों में शिक्षकों एवं अभिभावकों की जागरूकता का स्तर अत्यधिक उच्च है जहां कुल 14 कथनों में अभिभावकों की जागरूकता उच्च स्तर की है वहीं शिक्षकों में यह 12 कथनों तक ही सीमित है। वहीं औसत स्तर की जागरूकता में अभिभावकों का कथन 11 है वहीं शिक्षकों का कथन इस स्तर पर 9 है। शिक्षकों का स्तर 1 कथनों में निम्न है वहीं अभिभावकों में निम्न स्तर पर कोई नहीं हैं। अर्थात् अभिभावकों की जागरूकता जहां औसत से अत्यधिक उच्च स्तर तक है वहीं शिक्षकों में निम्न से अत्यधिक उच्च स्तर तक की जागरूकता है। सारणी क्रमांक 4.5 से स्पष्ट है कि शिक्षकों में अभिभावकों कीअपेक्षा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक है।

Awareness Level of Teacher and Parents						
S.N.	Level	Range %	Total Question		Question number	
			Teacher	Parents	Teacher	Parents
1	Superio	98-100	0	0	0	0

	r					
2	**Very High**	**85-98**	3	0	16,18,20	0
3	**High**	**51-85**	12	14	3,5,6,7,8,9, 11,15, 19,22,23,25	1,5,6,7,8,9,11, 12,15, 16,18,19,20, 22
4	**Average**	**16-51**	9	11	1,4,10,12,13, 14, 17,21,24	2,3,4,10,13, 14,17, 21, 23,24,25
5	**Low**	**3-16**	1	0	2	0
6	**Very Low**	**0-3**	**0**	**0**	0	0

विवेचना

प्रस्तुत लघुशोध के निष्कर्ष में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आया वह निम्नानुसार हैः–

- सुरक्षा का अधिकार के क्षेत्र में शिक्षकों की जागरूता अत्यधिक उच्च स्तर की है जबकि अभिभावको की जगरूकता इस क्षेत्र में औसत से अधिक है।
- सहभागिता का अधिकार के क्षेत्र में शिक्षकों एवं अभिभावकों दोनों में जागरूकता का स्तर उच्च है। शिक्षकों में शिक्षा का अधिकार के प्रति भी जागरूकता उच्च स्तर की है। लेकिन अभिभावकों में इस क्षेत्र में जागरूकता का स्तर औसत है।
- जीने एवं देखभाल और संरक्षण के क्षेत्र में अभिभावकों एवं शिक्षकों की जागरूकता औसत है।
- प्रतिष्ठा एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में शिक्षकों की जागरूकता निम्न है। इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अभिभावकों की जागरूकता जहां औसत से अत्यधिक उच्च स्तर तक है वहीं शिक्षकों में निम्न से अत्यधिक उच्च स्तर तक की जागरूकता है। औसत दृष्टि से तुलना किया जाय तो शिक्षकों में अभिभावकों की अपेक्षा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक है। यहां शिक्षकों को इस सम्बन्ध में जानकारी रहती है उन्हें किसी न किसी माध्यम से जानकारी हो जाती है लेकिन अभिभावकों को ये जानकारी नहीं हो पाती इसलिये जागरूकता में थोड़ी कमी है।

शोध का शैक्षिक महत्व

प्रस्तुत लघुशोध **''बाल अधिकारों के प्रति प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन''** किया गया है जिसका भावी शैक्षिक उपयोग निम्नलिखित हैः–

1. जिन क्षेत्रों में जागरूकता औसत या औसत से नीचे है उन क्षेत्र की पहचान एवं उसके लिये जागरूकता प्रसार के उपाय करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों एवं अभिभावकों में जागरूकता का स्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना जिससे वे अपने बच्चों एवं विद्यार्थियों के हित में कार्य कर सकें।
3. समग्र बाल अधिकारों से शिक्षकों एव पालकों को परिचित कराना ताकि वे अपने पाल्यों को अधिकार दे सकें।
4. प्रतिष्ठा एवं अभिव्यक्ति का अधिकार के क्षेत्र में निम्न जागरूकता है अतः उस क्षेत्र में शिक्षकों एवं अभिभावकों में जागरूकता फैलाना।
5. बाल अधिकार को पूर्णतः प्रदान करने हेतु उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सका जिन क्षेत्रों में कम जागरूकता है।
6. उन क्षेत्रों हेतु जागरूकता का प्रसार करने के लिये योजना निर्माण करना ताकि समग्र बाल अधिकार बच्चों को मिल सके।

7. शिक्षा का अधिकार के क्षेत्र में ग्रामीण अभिभावकों में जागरूकता का प्रसार करना।

जागरूकता बढ़ाने हेतु सुझावः–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों , जन प्रतिनिधियों, प्रेरकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं शिक्षकों के माध्यम से समग्र बाल अधिकारों का प्रचार एवं प्रसार कराया जा सकता है।
2. पोस्टर एवं दिवालों पर अधिकारों के बारें में लिखकर जागरूकता फैलाया जा सकता है।
3. हाट बाजारों में सभाएँ आयोजित करके जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है।
4. शिक्षकों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थाओं में सभाएँ, सेमीनार एवं संगोष्ठी का आयोजन करके भी इस क्षेत्र में जागरूकता का प्रसार कराया जा सकता है।
5. समय समय पर जगरूकता रैली आयेजित कर भी जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है।
6. ऐसे अभिभावक जो अशिक्षित हैं उनके लिये नुक्कड़ नाटक या कला जत्था पार्टी द्वारा जागरूकता का प्रसार किया जा सकता है।
7. बाल अधिकारों के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों एवं अभिभावकों का प्रोत्साहन किया जा सकता है।

भावी शोध हेतु सुझावः–

1. बाल अधिकारों के प्रति विद्यार्थियों के जागरूकता का अध्ययन।
2. बाल सुरक्षा कानून के फलस्वरूप बाल अपराध पर प्रभाव का अध्ययन।
3. बाल अधिकारों के प्रति बाल सुधार गृह/अनाथालय संचालकों में जागरूकता का अध्ययन।
4. बाल अधिकारों के प्रति प्री स्कूल शिक्षकों/संचालकों के जागरूकता का अध्ययन।
5. बाल अधिकारों के प्रति निजी विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना।

संदर्भ ग्रंथ

[1]. Ajithkuma, U.(2013): Awareness of child rights and their practices among the secondary school teachers of greater mumbai in relation to their gender and type of institution. (pp.).

[2]. Arora, S., & Thakur, R. (2015). A study on knowledge of child rights among teachers of primary school in jammu. *American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences*, 12(1), ISSN (Print): 2328-3734, 24-28.

[3]. Bajpai A, [2003], “Child Rights in India: Law, Policy and Practice”, New Delhi: Oxford University Press.

[4]. Bhargava, M., & Ahamad, T. (2015). Awareness of child rights among the parents, school and the children in Chandigarh district with special reference to national commission for protection of child rights. *International Journal of Applied Research*, 1(6), ISSN Online: 2394-5869, 74-78. Retrieved May 16, 2018, from https://goo.gl/gDfweV

[5]. Kumar, J. L. (2006). *Fundamentals of Child Rights: Concepts Issues and Challenges*. New Delhi: Mehra Offset Press Delhi.

[6]. Lal, K.(2014). Awareness of right to education act among teachers. *American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences*, 5(1), ISSN (Online): 2328-3696, 107-112. Retrieved May 15, 2018, from https://goo.gl/gTyi6P

[7]. Mangal,S.K.& Mangal,S.(2014) *Research methodology in Behavioural Science.* Delhi, PHI Learning Private limited. ISBN-978-81-203-4974-2.

[8]. Sathiyaraj , A., & Jayaraman, D. (2013). A Study on Child Rights Awareness among the Primary School Teachers in Tiruchirappalli District of Tamilnadu (Dissertation, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, 2013). *International Journal of Scientific and Research Publications*, 3(6), ISSN 2250-3153, 1021-1023.

[9]. Sharma, R.A. (2015). *Fundamental Of Educational Research & Statics*. Meerut, R.Lal Book Depot.

[10]. United Nations Convention on the Rights of the Child (1990). Retrieved June 5, 2018 from https://www.unicef.org/crc/

[11]. Declaration on the Rights of the Child (1959). Retrieved jun 5, 2018 from https://www.unicef.org/malaysia/1959-Declaration-of-the-Rights-of-the-Child.pdf